कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004
ई–मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष कमांक– 2554763

"website"

कमांक– 1629/167/आउशि/सम्बद्धता/2021, भोपाल, दिनांक–05/08/2021

प्रति,

1– प्राचार्य,
समस्त हेल्प सेंटर– ई–प्रवेश (सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश),

2– कुल सचिव/प्राचार्य,
समस्त हेल्प सेंटर (एन.सी.टी.ई. के पाठ्यकमों में प्रवेश),

विषयः– सत्र 2021–2022 में ऑन–लाईन प्रवेश प्रकिया हेतु हेल्प सेन्टरों द्वारा सजगता से कर्तव्य पालन करने बाबद्।

----00----

प्रदेश में सत्र 2021–2022 में सामान्य पाठ्यकमों तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के पाठ्यक्रमों में ऑन–लाईन प्रवेश प्रकिया जारी है।

2. प्रवेश प्रकिया में समस्त हेल्प सेन्टरों की भूमिका अहम है तथा निर्बाध रूप से प्रवेश प्रकिया का संचालन करने का दायित्व समस्त हेल्प सेन्टरों का है।

3. ऑन–लाईन प्रवेश प्रकिया हेतु शासन द्वारा मार्गदर्शी निर्देश समुचित रूप से जारी किये गये है। मार्गदर्शी निर्देशों में उलेखित समय सारणी अनुसार ई–प्रवेश (सामान्य पाठ्यकमों में प्रवेश) हेतु दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन तथा एन.सी.टी.ई. के पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु हेल्प सेन्टर स्तर पर ऑफलाईन सत्यापन की कार्यवाही निश्चित समयावधि में सम्पन्न की जाये, जिससे कि किसी भी स्थिति में आवेदक विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

4. यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी प्रवेश से संबंधित सौपे गये कार्य अनिवार्य रूप से समयावधि में सम्पादित करेंगे।

पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2021–2022 में ऑन–लाईन प्रवेश प्रकिया हेतु समस्त हेल्प सेन्टरों द्वारा सजगता से कर्तव्य पालन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने अथवा कर्तव्य पालन में उदासीनता बरतने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

----2.

पृ.क्रमांक– 1630/167/आउशि/सम्बद्धता/2021, भोपाल, दिनांक–05/08/2021

प्रतिलिपि :

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय म0प्र0)।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.) की ओर विभागीय "वेबसाइट" पर प्रकाशन हेतु।

..........की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश